म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर

M.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, GWALIOR

CELEBRATING 120 YEARS MPCCI

https://mpcci.in

e अर्थवार्ता

मासिक पत्रिका

NOVEMBER 2025

- आरएनआई/एमपीएचआईएन/1997/6965
- वर्ष : 28, अंक : 05

http://www.mpcci.in
अर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

राज्य में प्रथम बार व्यावसायिक व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू हुई 'विद्युत समाधान योजना' का लाभ सभी व्यवसाईयों को मिले, चेम्बर इसका प्रयास करे : ऊर्जा मंत्री-श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

व्यापारिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना की हुई लॉंचिंग

म. प्र. सरकार द्वारा बकायादार बिजली उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए दो चरणों में ''समाधान योजना 2025-26'' लागू की गई है । इस योजना की विशेष बात यह है कि इस योजना में प्रथम बार गैर घरेलू, निम्नदाब औद्योगिक एवं उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है, जबकि पूर्व में केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस प्रकार की योजनाएँ सरकार द्वारा लागू की जाती रही हैं । यह बात दिनांक 9 नवम्बर 2025 को 'चेम्बर भवन' में ''सुविधा योजना'' की लाँचिन्ग के अवसर पर मुख्य अतिथि, ऊर्जा मंत्री, म. प्र. शासन-माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन में कही ।

माननीय ऊर्जा मंत्री-श्री तोमर जी ने इस अवसर पर कहा कि यह योजना छोटे व्यवसाईयों व उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 3 नवम्बर से लागू की गई है, जो कि वास्तविक रूप से एक प्रेक्टीकल योजना है । आपने कहाकि इसका द्वितीय चरण 1 जनवरी 26 से लागू होगा । आपने बताया कि इस योजना का मूल उद्देश्य 3 माह से अधिक पुराने बकाया उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है । इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर छूट 60% से 100% तक तथा द्वितीय चरण में छूट का लाभ 50% से 90% उपभोक्ताओं को मिलेगा ।

आपने इस अवसर पर जानकारी दी की ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में नवीन 132 केव्ही के सब स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है । आपने कहा कि फूलबाग में 132 केव्ही के विद्युत सबस्टेशन के प्रारम्भ होने से शहर में विद्युत समस्या का काफी हद तक समाधान हुआ है और इस सब स्टेशन का सबसे बड़ा लाभ बिड़ला नगर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों को हुआ है । आपने अवगत कराया कि एक विद्युत सब स्टेशन शताब्दीपुरम के लिए भी स्वीकृत हो चुका है और शीघ्र ही सिकंदर कम्पू पर भी सब स्टेशन की स्थापना हेतु कार्य किया जाएगा । इसके साथ ही आपने अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्वारा शहर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बाहरी क्षेत्र को शामिल कर,

एक नया सब डिवीजन बनाए जाने की माँग पर कहा कि मैं, इसके लिए प्रयास करूँगा क्योंकि विद्युत की आपूर्ति आपको गुणवत्ता युक्त मिले, यह मेरा उत्तर दायित्व है और इस कार्य को मैं, हरसंभव पूरा करूँगा। आपने कहा कि विद्युत सुधार संबंधी कार्य करना मेरा व विभाग के अधिकारियों का परम कर्त्तव्य है, परन्तु आगे किसी प्रकार की कोई समस्या विद्युत वितरण कं. के सामने नहीं आए, इसका ध्यान रखना उपभोक्ता की जिम्मेदारी है। इसलिए विद्युत लाइन लॉसेस न हो, इसमें विद्युत वितरण कम्पनी का सहयोग करें।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में, अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्वारा अतिथिगणों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि आज व्यापारिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ''सरचार्ज माफी योजना'' की लाँचिंग पर पधारे, मुख्य अतिथि-माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का मैं, स्वागत करता हूँ, अभिनन्दन करता हूँ। आपने कहा कि आपके निर्देश पर ही चेम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रत्येक माह विद्युत समस्या समाधान शिविर का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर अपने उद्देश्य में सफल रहा है। आपने कहा कि मैं इस अवसर पर विद्युत वितरण कं. के मुख्य महाप्रबंधक, श्री विनोद कटारे, महाप्रबंधक (शहर वृत्त)-श्री संदीप कालरा सहित वितरण कं. से पधारे सभी अतिथिगणों का भी स्वागत करता हूँ।

आपने कहा कि म. प्र. शासन द्वारा आज जो अकल्पनीय कार्य किया गया है। इसके पीछे माननीय ऊर्जा मंत्री जी की जिद्द थी कि व्यवसाईयों व उद्योगपतियों के लिए भी सरचार्ज माफी योजना लाई जाए और इस दिशा में माननीय मंत्री जी के प्रयास सफल हुए। वह इसके लिए निश्चित ही साधुवाद के पात्र है। यह सरकार की संवेदनशीलता का परिणाम है। आपने कहा कि मध्यप्रदेश शासन को ऊर्जा विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों में भी सरचार्ज माफी योजनाएँ लानी चाहिए क्योंकि इस प्रकार की योजनाओं से शासन को राजस्व की प्राप्ति होती है और हितग्राही को राहत मिलती है।

आपने, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से माँग करते हुए कहा कि ग्वालियर शहर का चारों दिशाओं में विगत कुछ वर्षों में काफी विस्तार हुआ है, जिसमें भिण्ड रोड पर महाराजपुरा से आगे का क्षेत्र, आरईएस मुरार, सखिया विलास और मोतीझील जोन आदि क्षेत्र में अनेक आवासीय कॉलोनियों में नागरिक निवास कर रहे हैं। इसलिए अब यह आवश्यक है कि शहर के बाहरी क्षेत्र को शामिल करते हुए एक नवीन 5वीं विद्युत डिवीजन बनाई जाए और इन सभी क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में शामिल किया जाए, ताकि उन्हें बगैर किसी अवरोध के विद्युत की प्राप्ति हो सके। आपने कहा कि ग्वालियर में विद्युत संधारण का कार्य अत्यन्त ही सराहनीय हुआ है। आपने कहा कि फूलबाग में 1 करोड़ 25 लाख की राशि से बने विद्युत सब स्टेशन से ग्वालियर शहर सहित विशेष रूप से तानसेन नगर औद्योगिक क्षेत्र को काफी लाभ मिला है। आपने इसी प्रकार दक्षिण में सिकंदर कम्पू एवं मेला परिसर में भी 132 केव्ही विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किए जाने की माँग की। साथ ही, आपने यह भी माँग की कि ऐसे विद्युत बिल जो कि संशोधन हेतु भोपाल जाते हैं, उनमें काफी समय लगता है, जबकि ग्वालियर में मुख्य महाप्रबंधक बैठते हैं। इसलिए इस प्रकार के बिलों को भोपाल के स्थान पर ग्वालियर में ही संशोधन के अधिकार प्रदान किए जाएँ।

बिरला नगर औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत समस्या का समाधान किए जाने पर स्थानीय उद्योगपति व चेम्बर के कोषाध्यक्ष-संदीपनारायण अग्रवाल एवं बिरला नगर औद्योगिक एसोसिएशन के सचिव-श्री संजय धवन द्वारा माननीय

ऊर्जा मंत्री–श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का फूलमाला एवं दुपट्टा पहनाकर, आत्मीय स्वागत किया गया ।

कार्यक्रम के दौरान विद्युत वितरण कं. के महाप्रबंधक (शहर वृत्त)–श्री संदीप कालरा द्वारा पावर पॉइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से उपरोक्त 'समाधान योजना' की जानकारी दी गई ।

कार्यक्रम का संचालन, मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल ने किया तथा कार्यक्रम के अंत में आभार, कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया । इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकारिणी सदस्यगण व सदस्य महानुभाव सहित विद्युत वितरण कं. के अनेक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे ।

''मासिक विद्युत समस्या समाधान शिविर'' आयोजित

उपरोक्त कार्यक्रम के उपरान्त ''विद्युत समस्या समाधान शिविर'' का आयोजन भी किया गया । इस शिविर में काफी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएँ विस्तुत की । कैम्प में उपस्थित विद्युत वितरण कं. के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का यथासंभव समाधान किया गया ।

कार्यकारिणी समिति की बैठक

दिनांक 25 नवम्बर 2025 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-

* चेम्बर के संशोधित संविधान के अध्याय–एक की धारा–5 में दी गई व्यवस्था हेतु फर्म के नाम/सदस्यता में परिवर्तन हेतु वर्तमान में सदस्य बनाए जाने हेतु प्रचलित दरों की 50% राशि लिए जाने का निर्णय लिया गया ।
* चेम्बर परिसर में स्थापित होर्डिंग के रिन्यूअल हेतु मेसर्स दीपक एडवरटायजर्स से प्राप्त पत्र पर वर्तमान किराए में 5% राशि की वृद्धि के साथ रिन्यू किए जाने का निर्णय लिया गया ।
* समूह परिवर्तन हेतु प्राप्त निम्नलिखित आवेदन–पत्रों पर विचार कर, निम्नानुसार समूह परिवर्तन किए जाने का निर्णय लिया गया :–
  (I) मेसर्स जैन मार्बल एवं कोटा स्टोन, समूह क्र.–20 (भवन निर्माण सामग्री व्यवसाय) से समूह क्र.–21 (ठेकेदारी व्यवसाय) में ।
  (II) मेसर्स के. बी. सी. हर्रा, समूह क्र.–04 (खेरीज एवं कटपीस वस्त्र व्यवसाय) से समूह क्र.–03 (सिंथेटिक वस्त्र व्यवसाय) में ।
  (III) मेसर्स वंदना ट्रेडिंग कं., समूह क्र.–02 (थोक वस्त्र व्यवसाय) से समूह क्र.–03 (सिंथेटिक वस्त्र व्यवसाय) में ।
  (Iv) मे. श्री अचलेश्वर गृह उद्योग, समूह क्र.–08 (शक्कर व्यवसाय) से समूह क्र.–06 (थोक किराना व्यवसाय) में ।
* व्यापारिक विवाद निपटान उपसमिति की बैठक में चेम्बर सदस्य, श्री महेश कुमार अग्रवाल, मेसर्स रामप्रसाद लालचन्द (आजीवन) के प्रकरण में की गई अनुशंसा पर चेम्बर सदस्य, श्री महेश कुमार अग्रवाल की सदस्यता निलंबित करते हुए संविधान के अध्याय–एक की धारा–4.4 के तहत सदस्यता समाप्ति का प्रस्ताव साधारण सभा में प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया ।
* ''दीपावली व नववर्ष मिलन समारोह'' की रूपरेखा तय कर, इस आयोजन के तहत दि. 3–4 जनवरी 2026 को क्रिकेट मैच एवं दिनांक 6 जनवरी 2026 को 'रंगमहल गार्डन' में 'कवि सम्मेलन' व 'स्वरुचि भोज' आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया ।

http://www.mpcci.in
eअर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

केन्द्रीय बजट, राज्य बजट एवं जीएसटी पर बजट पूर्व सुझावों हेतु बैठक आयोजित

केन्द्रीय बजट, राज्य बजट एवं जीएसटी पर बजट पूर्व सुझावों पर चर्चा हेतु दि. 18 नवम्बर को 'चेम्बर भवन' में एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जीएसटी विशेषज्ञ–सीए दीपक वाजपेयी ने कहा कि सरकार ने जीएसटी के सिलेब को घटाकर एवं आयकर की सीमा को बढ़ाकर, बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है । आगामी बजट में सरकार का फोकस रिफॉर्म पर पर होगा, यानि कम्प्यूटराइजेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स जमा करें, जिससे सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिले और जनता को भी सरकार उसी अनुपात में सुविधा मुहैया करा सके । इसलिए कारोबारियों को अब ऑनलाइन प्लेटफार्म को अपनाना चाहिए । आपने कहा कि आज की बैठक में प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए सरकार से एमनेस्टी स्कीम की मांग की जाएगी । साथ ही, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के संबंध में प्राप्त सुझावों को भी को समाहित कर, सुझाव तैयार किए जाएँगे ।

प्रारम्भ में अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद बजट पूर्व सुझावों के लिए ज्यादा कुछ रह नहीं जाता है । सरकार द्वारा जीएसटी की दरों को कम किया गया है, लेकिन कुछ विसंगतियाँ रह गई हैं, जैसे कि कपड़े पर 5 व 18% की दरें रखी गई, जबकि कपड़ा बेसिक आवश्यकता है । इसलिए कपड़ों पर एक ही दर 5% रखी जानी चाहिए । साथ ही, कॉपी–किताब पर जीएसटी शून्य किया है, लेकिन कागज पर 18% की दर की गई है, जिससे इस वस्तु का व्यापार प्रभावित हो रहा है । इसी प्रकार एक सीनियर सिटीजन बहुत विषम परिस्थिति में अपना मकान विक्रय करता है, लेकिन सरकार उस पर केपिटल गेन लेती है, यह नहीं लिया जाना चाहिए । इसी प्रकार प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी की दरें समीपवत प्रदेशों की तुलना में बहुत ज्यादा है, जो कि कम होना चाहिए और पेट्रोल–डीजल को जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि देश भर में इसकी दरें समान हो सकें ।

बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहा कि चेम्बर द्वारा बजट पूर्व सुझावों में जो भी माँग सरकार द्वारा की जाती है, वह देर सवेर पूर्ण होती है । आपने उदाहरण दिया कि चेम्बर द्वारा निरंतर बजट पूर्व सुझावों में आयकर की सीमा को बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे गत बजट में बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है । वहीं प्रदेश स्तर पर उद्योगों को लंबित सब्सिडी की राशि जल्द देने की मांग की गई थी । इस मांग पर दि. 31 मार्च 2025 तक सभी लंबित सब्सिडी की राशि औद्योगिक इकाईयों को मिल गई थी । बैठक में जो भी सुझाव आएंगे, उन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा ।

बैठक में प्लायवुड पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% किए जाने, आयकर की धारा 40ए(3) में 10 हजार की लिमिट को बढ़ाए जाने, धारा 131(ए) में भी फेसलेस सुनवाई किए जाने, ईवे-बिल की सीमा इन्ट्रा स्टेट के लिए बढ़ाकर एक लाख किए जाने, यूआरडी की लिमिट 40 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ किए जाने, कैंसर एवं डायलिसिस जैसी गंभीर बीमारी के लिए लाड़ली बहना योजना की तरह प्रतिमाह राशि दिए जाने, पीपीएफ एकाउंट में 1.5 लाख प्रतिवर्ष जमा करने की लिमिट को बढ़ाने तथा ब्याज दर 9% किए जाने, प्रोफेशनल टैक्स को समाप्त करने, मेडिकल क्षेत्र में जीएसटी नंबर अनिवार्य करने, नौकरीपेशा लोगों की तरह ही व्यापारियों को भी आयकर के लिए बनाए गए ओल्ड एवं न्यू रिजीम में स्विच करने की सुविधा दिए जाने आदि सुझाव दिए गए।

बैठक के अंत में आभार, कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल ने व्यक्त किया। बैठक में कार्यकारिणी समिति सदस्य-सर्वश्री आशीष जैन, सुशांत सिंघल, आशीष अग्रवाल, अभिषेक गोयल, दीपक अग्रवाल, आशुतोष मिश्रा, मनोज सरावगी, अरूण गुप्ता आदि सहित श्री संजय धवन, श्री माधव अग्रवाल, श्री पंकज गोयल उपस्थित थे।

बैठक के उपरान्त 21 नवीन सदस्यों को सदस्यता प्रमाण-पत्र एवं एमपीसीसीआई पिन प्रदान कर, आत्मीय स्वागत किया गया। ज्ञात रहे, दि. 4 अक्टूबर को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में इन सदस्यों को सदस्यता प्रदान की गई थी।

फर्म के नाम/सदस्यता में परिवर्तन का अवसर

दिनांक 25-09-2025 से लागू चेम्बर के संशोधित संविधान में अध्याय-एक की धारा-5 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

"(5) फर्म के नाम/सदस्यता में परिवर्तन :

ऐसी फर्म, जिनके प्रतिनिधि उपस्थित हैं और वह अपनी इस फर्म में व्यापार न करते हुए नई फर्म से व्यापार कर रहे हैं, तो कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित शुल्क देने पर कार्यकारिणी समिति की सहमति से फर्म का नाम परिवर्तन करा सकेंगे। यह परिवर्तन धारा-2. सदस्यता हेतु योग्यता के तहत किया जाएगा।"

उपरोक्त धारा के तहत ऐसी फर्म जो कि चेम्बर की सदस्य है और उनके प्रतिनिधि उपस्थित हैं तथा वे इस फर्म से व्यापार न करते हुए किसी नई फर्म से व्यापार कर रहे हैं, तब वे इस धारा के तहत अपनी फर्म का नाम परिवर्तन हेतु 'चेम्बर सचिवालय' में आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 25-11-2025 में सदस्यता हेतु प्रवेश शुल्क की वर्तमान दरों की 50% राशि लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव वर्तमान में फर्म परिवर्तन हेतु दरें निम्न प्रकार रहेंगी :-

प्रोपराइटर/पार्टनरशिप फर्म : रु. 25500/-

प्राइवेट लि./एलएलपी फर्म : रु. 35500/-

पब्लिक लि. फर्म : रु. 50000/-

http://www.mpcci.in
e अर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारम्भ की गई "एसआईआर-2025" प्रक्रिया पर बैठक आयोजित

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारम्भ किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ''मतदाता उन्मुखीकरण'' बैठक का आयोजन दिनांक 24 नवम्बर को 'चेम्बर भवन' में किया गया । बैठक में एसडीएम एवं निर्वाचन पंजीयन अधिकारी-श्री अतुल सिंह ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता के वेरीफिकेशन के लिए चलाया जा रहा है । बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता को गणना प्रपत्र बांट रहे हैं । सभी मतदाताओं से अपील है कि वह इस गणना प्रपत्र को 26 नवम्बर तक भरकर जमा कर दें, ताकि बीएलओ उसे मेपिंग कर अपलोड कर सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 4 दिसम्बर की समय-सीमा तय की गई है । इस समय-सीमा तक आपका गणना प्रपत्र बीएलओ को ऑनलाइन सबमिट करना है । इसलिए मतदाताओं से अपील है कि वह जागरूकता के साथ यथाशीघ्र अपना गणना प्रपत्र जमा करें । दिनांक 9 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाएगी । इस सूची में वह सभी नाम होंगे, जिन्होंने गणना प्रपत्र बीएलओ को भरकर दिया है । आपने बताया कि जिन मतदाओं द्वारा गणना प्रपत्र जमा नहीं किया जाएगा, उनके नाम इस सूची में नहीं आएँगे । दिनांक 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियाँ मतदाओं से आमंत्रित की जाएंगी एवं जिन मतदाताओं का नाम वर्ष-2003 की वोटर लिस्ट में स्वयं है अथवा उनके माता-पिता/दादा-दादी के नाम हैं । वो जब गणना प्रपत्र में उनकी जानकारी भरकर देंगे, तब उनकी मैपिंग और वेरीफिकेशन हो जाएगा, जिन लोगों की मैपिंग नहीं होगी, उन्हें नोटिस जारी कर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए, 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज नोटिस के जवाब के साथ प्रदाय करना होगा ।

एसआईआर के ट्रेनर डॉ. एस. बी. ओझा द्वारा गणना प्रपत्र फार्म को कैसे भरा जाए, इसकी पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हुए कहा कि गणना प्रपत्र का पहला भाग सभी मतदाताओं को भरना है । अपना आधार नं. एवं मोबाइल नं. जरूर भरें, ताकि भविष्य में आपका आधार से वेरीफिकेशन एवं मोबाइल पर आपको सूचनाएँ प्राप्त हो सकें । प्रपत्र में नीचे दिए गए, दो कॉलम में से बायीं तरफ के कॉलम में यदि मतदाता का नाम वर्ष-2003 की वोटर लिस्ट में है, तब केवल यह कॉलम ही भरना है । यदि मतदाता का नाम वर्ष-2003 की लिस्ट में नहीं है, तब दाएँ तरफ के कॉलम में मतदाता को अपने माता-पिता/दादा-दादी में से किसी एक की जानकारी भरना है । वर्ष-2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी भारत सरकार निर्वाचन आयोग एवं मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से निकाली जा सकती है ।

इस अवसर पर अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्र को कैसे भरा जाए, वर्ष-2003 की लिस्ट में नाम कैसे पता करें, ऐसे कई सवाल चेम्बर को कारोबारियों से प्राप्त हो रहे थे । इसी के तहत आज यह मतदाता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है ।कार्यक्रम का संचालन एवं आभार मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया । बैठक में तहसीलदार एवं सहायक पंजीयक अधिकारी-श्री शिवदत्त कटारे, चेम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष-राधाकिशन खेतान, पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव-नरेश सिंघल सहित कार्यकारिणी समिति सदस्य, सर्वश्री आशीष जैन, महेन्द्र साहू, अशोक कुमार अग्रवाल, कमलेश कुमार जैन, आशीष अग्रवाल, दीपक श्रीचंद जैस्वानी, आशुतोष मिश्रा, ओमप्रकाश गुप्ता, राजेश बंसल, अनूप साहू, धर्मेन्द्र जैन, भरत बंसल, मनोज सरावगी, राकेश लहारिया आदि उपस्थित थे ।

नवम्बर 2025 के महत्वपूर्ण प्रयास...

* मुख्यमंत्री–माननीय डॉ. मोहन यादव एवं परिवहन मंत्री, म. प्र. शासन को पत्र प्रेषित कर, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर द्वारा नवीन वाहन रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेंस के प्लास्टिक कार्ड गत् 01 वर्ष से वाहन मालिकों से राशि रु. 200/– वसूल किए जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराए जाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए, माँग की गई है कि गत् 01 वर्ष के अंदर जितने वाहनों के पंजीयन हुए हैं और नवीन लाइसेंस बनाए गए हैं । उन सभी को उक्त प्लास्टिक कार्ड उपलब्ध कराएँ जाएँ क्योंकि सभी से प्लास्टिक कार्ड शुल्क के रूप में रु. 200/– की वसूली आरटीओ कार्यालय, ग्वालियर द्वारा की गई है ।
* आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर 'रामदास घाटी' पर हाथ ठेला वालों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण प्रतिदिन ट्रेफिक जाम की समस्या से अवगत कराते हुए, उक्त घाटी से हाथ ठेलों को हटाए जाने की माँग की गई ।
* सीईओ व चेयरमैन, इंडिगो एयरलाइन को पत्र प्रेषित कर, सुबह के समय ग्वालियर से इंदौर के मध्य हवाई सेवा प्रारम्भ किए जाने की माँग की गई ।
* मुख्यमंत्री–माननीय डॉ. मोहन यादव एवं केन्द्रीय संचार मंत्री–माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर व्यापार मेला में वाहनों के रोड टैक्स में प्रति वर्ष की भांति इस बार भी 50% छूट की घोषणा तथा शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी किए जाने की माँग की गई ।
* केन्द्रीय संचार मंत्री–माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर के विकास पर चर्चा हेतु 'चेम्बर भवन' में पधारने का अनुरोध किया ।
* केन्द्रीय संचार मंत्री–माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र प्रेषित कर, मुरार के बड़ागाँव क्षेत्र में नवीन डाकघर की स्थापना किए जाने की माँग की गई ।
* डीआरएम, झाँसी को पत्र प्रेषित कर, सिथोली रेलवे स्प्रिंग कारखाना क्रॉसिंग पर यातायात के सुगम संचालन हेतु फाटक के स्थान पर अण्डरपास बनाए जाने की माँग की गई ।
* श्रमायुक्त, इन्दौर को पुनः पत्र प्रेषित कर, म. प्र. श्रम सलाहकार परिषद में श्री जगदीश मित्तल जी को नामांकित करने की माँग की गई ।
* आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर एवं सीईओ, ग्वालियर स्मार्ट सिटी परियोजना को पत्र प्रेषित कर, शहर में ट्रेफिक व्यवस्था में सुधार हेतु कैमरे लगाए जाने के कार्य को तीव्र गति के साथ पूर्ण करने की माँग की गई ।
* केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री–माननीय श्री नितिन गड़करी व चेयरमैन, एनएचएआई को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर–इन्दौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवपुरी–गुना की सीमा में लगभग 15 किमी सड़क की मरम्मत किए जाने की माँग की गई । साथ ही, आगरा में नहर किनारे वाले जर्जर बायपास मार्ग का चौड़ीकरण व नवीनीकरण किए जाने की माँग की गई ।
* आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, शंकरपुर उद्योग नगरी में बरसात में होने वाले जल भराव की गंभीर समस्या का स्थाई समाधन हेतु निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किए जाने की माँग की गई ।

फिक्की, नई दिल्ली की 98वीं वार्षिक साधारण सभा में शामिल हुआ चेम्बर का प्रतिनिधिमण्डल

फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज (FICCI) की 98वीं वार्षिक साधारण सभा, दिनांक 28-29 नवम्बर,2025 को भारत मण्डपम, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस सभा में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री-श्री पीयूष गोयल जी, केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री-श्री गजेन्द्र शेखावत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री-श्री भजन लाल शर्मा जी एवं देश भर से व्यापार एवं उद्योग से प्रतिनिधि शामिल हुये। **MPCCI** की ओर से मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, कार्यकारिणी समिति सदस्यगण-सर्वश्री विपिन गुप्ता, अरूण गुप्ता, आशीष अग्रवाल, मनोज सरावगी, विवेक बंसल द्वारा भाग लिया गया।

दिनांक 28 दिसम्बर को आयोजित फिक्की मेम्बर बॉडीज की मीटिंग में मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल द्वारा राज्य सरकारों द्वारा जनता के खाते में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के बढ़ते फिस्कल बोझ पर चिंता जताते हुए कहा कि हाल के सालों में, कई राज्यों ने ''लाडली बहना'' मॉडल जैसी बड़े पैमाने पर डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम शुरू की हैं। ये राज्य के टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा खर्च करती हैं। जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन प्रभावित होता है।

मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल द्वारा बैठक में मांग रखी गई कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देने के बजाय, सरकारों को रोज़गार सृजन पर खर्च को प्राथमिकता देनी चाहिए- जैसे कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, स्वरोज़गार कार्यक्रम और रोज़गार पैदा करने वाले क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक सशक्तिकरण और आर्थिक विकास के साथ ही, राज्य एवं

देश की उन्नति में सहायक होगा।

कार्यकारिणी समिति सदस्य–श्री आशीष अग्रवाल द्वारा पेट्रोल एवं डीजल को जीएसटी में शामिल करने के विषय को इस सभा में प्रमुखता से रखा ताकि एक राष्ट्र–एक कर की भावना को पूर्ण किया जा सके।

MPCCI द्वारा पेट्रोल–डीजल को जीएसटी में शामिल करने के प्रस्ताव को साधारण सभा से पूर्व ही प्रेषित किया गया था, जिसे **FICCI** द्वारा **Annual Resoultion** में पास भी किया गया।

प्रेषक : स्वामी म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के लिए प्रकाशक, दीपक अग्रवाल द्वारा सागर प्रिन्टर्स, ग्वालियर से डिजाइन तथा 'चेम्बर भवन', एस.डी.एम. मार्ग, ग्वालियर से प्रकाशित. संपादक–दीपक अग्रवाल, दूरभाष–2371691,2632916,2382917